

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District** (जिला): ACB DISTRICT **P.S.** (थाना): C.P.S Jaipur **Year** (वर्ष): 2026

2. **FIR No.** (प्र.सू.रि.सं): 0011 **Date and Time of FIR** (एफआईआर की तिथि/समय): 09/01/2026 16:42 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	10
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence** (अपराध की घटना):

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From** (दिनांक से): 14/06/2023 **Date To** (दिनांक तक): 16/11/2023

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From** (समय से): 00:00 बजे **Time To** (समय तक): 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S.** (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): **Date** (दिनांक): 09/01/2026 **Time** (समय): 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference** (रोजनामचा संदर्भ): **Entry No.** (प्रविष्टि सं.): 001 **Date & Time** (दिनांक एवं समय): 09/01/2026 16:42:14 बजे

4. **Type of Information** (सूचना का प्रकार): लिखित

5. **Place of Occurrence** (घटनास्थल):

1. (a) **Direction and distance from P.S.** (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 12 किमी **Beat No.** (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** P.H.E.D. OFFICE JAIPUR

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then** (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State)** (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): JITENDRA SHARMA
(b) Father's Name (पिता का नाम): NAMALUM

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1982 (d)Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	44, RATAN SAGAR COLONY, MUHANA MANDI ROAD MANSAROVAR, MANSAROVAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	44, RATAN SAGAR COLONY, MUHANA MANDI ROAD MANSAROVAR, MANSAROVAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DINESH GOYAL		पिता:KEDAR LAL GOYAL	1. 63,HATHROI FORT JAIPUR,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA
2	MAHENDRA PRAKASH SONI		पिता:NATHMAL SONI	1. 194,PRTHVIRAJ NAGAR,MAHARANI FARM JAIPUR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
3	SIDHARTH TANK		पिता:GOVARDHAN LAL TANK	1. 15/42,TANK BUILDING,PURANI MANDI AJMER,AJMER,RAJASTHAN,IN

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of Interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	एक सौ सत्तासी करोड रुपये	1,87,00,00,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,87,00,00,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

महोदय,हालात इस प्रकार से निवेदन है कि श्री जितेन्द्र शर्मा निवासी - 44 रतन सागर कॉलोनी, मुहाना मण्डी रोड, मानसरोवर, जयपुर ने दिनांक 16-11-2023 समय 04.35 पीएम पर जरिये मेल आईडी jitupancholi26@gmail.com से DG.ACB@RAJASTHAN.GOV.IN की मेल आईडी पर प्राप्त मेल के साथ attatch प्रार्थना पत्र श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालाना जयपुर को संबोधित करते हुए अंकित किया कि मैसर्स Bhoorathnomn Construction Co. P Limited, हैदराबाद द्वारा जल जीवन मिशन के 5 प्रोजेक्ट में टेंडर डाले है, जिनमें फर्म द्वारा बिडिंग कैपेसिटी के झूठे शपथ पत्र देकर निविदाओं को दूषित करने के साथ ही राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (RTPP Act 2012) के सेक्शन 11 (2) a (II) का खुला उल्लंघन किया गया। उक्त प्रकरण में दिनांक 14.06.2023, 20.06.2023 तथा 30.06.2023 को शिकायतें प्राप्त होने के बाद भी विभागीय अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग करने के साथ ही मिलीभगत करते हुए उक्त प्रकरण में कार्रवाई करने की बजाए फर्म को बचाते हुए, करोड़ों रूपए के कायदेशि जारी करने का कृत्य किया गया है। मैसर्स Bhoorathnomn Construction Co. P Limited, हैदराबाद द्वारा अधूरे कार्य को छिपाकर बिडिंग कैपेसिटी का झूठा एफिडेविट प्रस्तुत करने के प्रकरण में शिकायतें प्राप्त होने के बाद श्री दिनेश गोयल, मुख्य अभियंता (स्पेशल प्रोजेक्ट), पीएचईडी, तथा श्री एम.पी. सोनी, तत्कालीन एसीई प्रोजेक्ट, अजमेर (अतिरिक्त चार्ज) एवं वर्तमान मे एसई प्रोजेक्ट बाडमेर (एसीई प्रोजेक्ट बाडमेर का अतिरिक्त चार्ज द्वारा खुद को मोटा लाभ प्राप्त करने तथा उक्त फर्म को कार्रवाई से बचाने के लिए दबाव बनाकर श्री सिद्धार्थ टांक, अधिशाषी अभियंता, पीएचईडी, प्रोजेक्ट खण्ड- मांडल, भीलवाड़ा से फर्म को फेवर करने वाली FACTUAL REPORT तैयार करवाई गई जिसके आधार पर फर्म को ब्लैक लिस्ट /डी-बार की कार्रवाई से बचाने के साथ ही निविदाओ की तकनीकी बिड में क्वालीफाई कर कार्य जारी कर दिए गए। जलदाय विभाग झूठे एवं फर्जी कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों एवं बिडिंग कैपेसिटी के फर्जीवाडो के कई प्रकरणों को लेकर पहले से ही देशभर में सखियों में होने के साथ ही बड़ी बदनामी झेल रहा है, जिनमें श्री दिनेश गोयल, मुख्य अभियंता (स्पेशल प्रोजेक्ट), पीएचईडी, तथा श्री एम.पी. सोनी, तत्कालीन एसीई प्रोजेक्ट, अजमेर, तथा वर्तमान में एसई प्रोजेक्ट बाडमेर (एसीई प्रोजेक्ट बाडमेर का अतिरिक्त चार्ज) की पूरी मिलीभगत रही है। पीएचईडी अजमेर संभाग मे गणपति ट्यूबवैल कम्पनी के फर्जी कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों का मामला दिनांक 06.06.2023 को उजागर होने के बाद भी दिनांक 08.06.2023 को श्री एम.पी. सोनी, तत्कालीन एसीई प्रोजेक्ट, अजमेर (अतिरिक्त चार्ज) ने श्री दिनेश गोयल, मुख्य अभियंता (स्पेशल प्रोजेक्ट). पीएचईडी के साथ मिलीभगत कर फर्म को कायदेशि जारी कर दिया, जो कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदहारण है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त निविदाओ में फर्म की ओर से प्रस्तुत किए गए बिडिंग कैपेसिटी के झूठे शपथ पत्रों एवं श्री सिद्धार्थ टांक, अधिशाषी अभियंता प्रोजेक्ट खण्ड- मांडल, पीएचईडी भीलवाड़ा, श्री एम.पी. सोनी, तत्कालीन एसीई प्रोजेक्ट, अजमेर (अतिरिक्त चार्ज) तथा वर्तमान मे एसई प्रोजेक्ट बाडमेर (एसीई प्रोजेक्ट बाडमेर का अतिरिक्त चार्ज) तथा श्री दिनेश गोयल, मुख्य अभियंता (स्पेशल प्रोजेक्ट), पीएचईडी द्वारा खुद को मोटा निजी हित लाभ प्राप्त करने के लिये पद का दुरुपयोग करने के साथ ही फर्म के साथ मिलीभगत कर अधूरे कार्य को पूर्ण बताने के कृत्य की जांच निम्न बिन्दुओं को शामिल करते हुए की जावे- . मैसर्स Bhoorathnomn Construction Co. P Limited, हैदराबाद द्वारा जल जीवन मिशन के उक्त 5 प्रोजेक्ट्स टेंडर में बिडिंग कैपेसिटी के शपथ पत्रों मे चंबल भीलवाड़ा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट

फेज-2 पैकेज-3 के वर्क ऑर्डर राशि 187.33 करोड़ के अधूरे कार्य को छुपाकर पूरा बताया गया है, जबकि मौके पर अभी कई गांवों में 'खेल' बनाने के साथ ही स्काडा और सप्लाई का काफी कार्य अधूरा पड़ा है, लेकिन श्री सिद्धार्थ टांक, अधिशाषी अभियंता, पीएचईडी प्रोजेक्ट खण्ड- मांडल, भीलवाड़ा द्वारा उक्त फर्म का जल जीवन मिशन के तहत प्रोजेक्ट कार्य की निविदाओं में क्वालीफाई कराने के लिए मई माह में ही अधूरे कार्य को मिलीभगत से पूर्ण बताकर कार्य पूर्णता सर्टिफिकेट जारी करने की फाइल चला दी, जबकि कार्य आज दिनांक तक भी 100 फीसदी पूरा नहीं हुआ है, जिसका पुष्टि विभाग की विजिलेस टीम को फील्ड में भेजकर कार्य के निरीक्षण से की जा सकती थी, लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रकरण में उन्हीं फील्ड अधिकारियों से Factual report मांगी गई, जिनकी मिलीभगत से अधूरे कार्य को पूर्ण बताने के कृत्य किया गया था। फर्म द्वारा 5 निविदाओं में बिडिंग कैपेसिटी का झूठा शप पत्र 22 मई को ही लगा दिया गया था, जबकि फील्ड में उक्त टेंडरों की दिनांक तक 10 से 18 फीसदी कार्य अधूरा पड़ा था और विभागीय दस्तावेजों से भी इसकी पुष्टि हो रही लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा फर्म को कार्रवाई से बचाने के लिए यह मौका दिया गया। मैसर्स Bhoorathnomn Construction Co. P Limited, हैदराबाद द्वारा चबल-भीलवाड़ा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फेज-2 पैकेज 3 का वर्क ऑर्डर राशि 183.33 करोड़ का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए श्री सिद्धार्थ टांक, अधिशाषी अभियंता, पीएचईडी, प्रोजेक्ट खण्ड- मांडल, भीलवाड़ा द्वारा अपने दिनांक - 21.06.2023 के पत्रांक: 386-388 से अधिकारियों को भेजी गई Factual report में स्पष्ट रूप से लिखा है कि The firm has completed the major works of the project and are running successfully. The completion certificate has not been issued to the firm, however it is in the process of issuance. The firm had completed The work of Rs. 1549074257.00 and payment of commissioning is not paid till date. जब कार्य पूर्ण हो चुका था तो श्री सिद्धार्थ टांक अधिशाषी अभियंता द्वारा स्पष्ट रूप से क्यों नहीं लिखा कि कार्य पूर्ण हो चुका है, क्यों उनके द्वारा केवल प्रोजेक्ट के major work को ही पूर्ण बताया गया। उनकी इस Factual report से हो गया कि प्रोजेक्ट में केवल major work कार्य ही पूर्ण हुआ है, कमिसनिंग और स्काडा का वर्क अधूरा होने के कारण उनके द्वारा केवल major work के कार्य को ही पूर्ण बताया गया है। श्री सिद्धार्थ टांक, अधिशाषी अभियंता, पीएचईडी, प्रोजेक्ट खण्ड- मांडल, भीलवाड़ा द्वारा अपने दिनांक 21.06.2023 के पत्रांक: 386-388 से अधिकारियों को भेजी गई Factual report में स्पष्ट रूप से लिखा है कि The firm has completed the major works of the project and are running successfully. उनकी इस Factual report से हो गया कि प्रोजेक्ट में केवल major works का कार्य ही पूर्ण बताया गया। जिससे आलाधिकारी सकते में आ गए और उनक द्वारा श्री सिद्धार्थ टांक, अधिशाषी अभियंता पर दबाव बनाकर उनसे अगले दिन दिनांक-22.06.2023 को पत्रांक: 398-399 से दूसरी Factual report मंगवाई गई, जिसमें से major को हटवा दिया गया और major works की जगह केवल work ही रखा गया, यानि पूरी रिपोर्ट को ही गोलमोल करवा दिया गया, जिसमें लिखा The firm has completed the work of the project and are running successfully. आलाधिकारी श्री एम.पी. सोनी, एसीई प्रोजेक्ट, अजमेर (अतिरिक्त चार्ज) द्वारा यह सारा खेल केवल मैसर्स Bhoorathnomn Construction Co. P Limited हैदराबाद को ब्लैकलिस्ट/डी-बार कार्रवाई से बचाने के साथ 5 निविदाओं में क्वालीफाई कराने के लिए कराया गया है, ताकि JV में जिन फर्मों ने मैसर्स Bhoorathnomn Construction Co. P Limited के साथ टेंडर डाले हैं उन्हें करीब 1000 करोड़ के काम मिल सके। मैसर्स Bhoorathnomn Construction Co. P Limited हैदराबाद द्वारा मिशन के निम्न 5 प्रोजेक्ट्स के टेंडर में बिडिंग कैपेसिटी का झूठा शप पत्र प्रस्तुत किए गए हैं- A. Sahara, Raipur Suwarna tehsil Bhilwara NIT Cos 231.16 Cr., B. Nagaur, Khinvsar and Mundwa block Nagaur NIOT Cos 376.95 Cr JV C., Retrofitting of WSP for 399 villages of blocks Kushalgarh and Sajjangarh NIT cosr 231.68 JV, D. Fatehpur Laxmangarh Sikar package 2 NIT cost 231.66 JV, E. ISRADA package IV Basha Sikrai NIT cost 421.90 single bidder. मैसर्स Bhoorathnomn Construction Co. P Limited, हैदराबाद द्वारा जल जीवन मिशन के उक्त 5 प्रोजेक्ट्स टेंडर में बिडिंग कैपेसिटी के शप पत्रों में चबल भीलवाड़ा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फेज-2 पैकेज 3 के वर्क ऑर्डर राशि 187.33 करोड़ के अधूरे कार्य को छुपाकर पूरा बताया गया है जबकि मौके पर अभी कई गांवों में कमिसनिंग करने के साथ ही 'स्काडा' का काफी कार्य अधूरा था, और कार्य की भौतिक प्रोग्रेस मई माह में 89 प्रतिशत थी और कार्य की वित्तीय प्रोग्रेस भी आज दिनांक तक करीब 83 प्रतिशत ही है, और कार्य फाइनल भी नहीं हुआ है, लेकिन फर्म द्वारा इस अधूरे कार्य को बिडिंग कैपेसिटी में नहीं दिखाया गया और झूठा शप पत्र (एफिडेविट) प्रस्तुत किया है, जो कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (RTPP 2012) के सेक्शन 11(2) a (II) का खुला उल्लंघन है। उक्त कार्य मुख्य अभियंता, स्पेशल प्रोजेक्ट कार्यालय के अधीन है और श्री दिनेश, मुख्य अभियंता (स्पेशल प्रोजेक्ट), पीएचईडी, तथा श्री एम.पी. सोनी, तत्कालीन प्रोजेक्ट, अजमेर (अतिरिक्त चार्ज) तथा वर्तमान में एसई प्रोजेक्ट बाइमेर (एसीई प्रोजेक्ट बाइमेर का अतिरिक्त चार्ज) को इस अधूरे कार्य की पूरी जानकारी थी, और यह जानकारी है कि उक्त कार्य में कई जगह कमिसनिंग का कार्य अधूरा होने के साथ ही स्काडा का काम अधूरा है और कार्य के बिल भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन दोनों अधिकारी फर्म के साथ मिलीभगत कर उसे बचाने के साथ ही बिडिंग कैपेसिटी के झूठे सर्टिफिकेट्स को सही

ठहराने के लिये दिनांक 26.06.2023 और 28.06.2023 को दो-दो रिपोर्ट तैयार करवाई गई और उसी के आधार पर फर्म को सभी 5 निविदाओं में क्वालीफाई कर दिया गया है, जो कि पूरी तरह से उक्त दोनों अधिकारियों की मिलीभगत को उजागर कर रहा है। वगैरा पर परिवाद संख्या एच-523/2024 (शिकायत आर.न. 6445 दिनांक 17.11.2023 दर्ज कर श्री दिनेश गोयल, मुख्य अभियन्ता स्पेशल प्रोजेक्ट पीएचईडी, श्री एम.पी. सोनी, एस.ई., पीआईयू-2 डीडवाना एवं तत्कालीन एस.ई.स प्रोजेक्ट अजमेर-अतिरिक्त चार्ज श्री सिध्दार्थ टांक, अधीक्षक अभियन्ता, पीएचईडी, प्रोजेक्ट खण्ड-माण्डल, भीलवाडा के खिलाफ विस्तृत जांच व अनुसंधान हेतु अन्तर्गत धारा 17-ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संसोधन 2018) के तहत पूर्वानुमोदन श्रीमती बिन्दु करूणाकर शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3 शिकायत) विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक - प.2(2)(61)कार्मिक/क-3/शि./2024 दिनांक 06/11/2025 प्राप्त होने पर श्री ओमप्रकाश किलानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (परिवाद) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर के पत्रांक धनिब्यूरो/परि/2025/18348-50 दिनांक 02/12/2025 के द्वारा आरोपी श्री दिनेश गोयल पुत्र श्री केदार लाल गोयल उम्र 57 साल पता 63, हथरोई फोर्ट, जयपुर हाल, मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) जन.स्वा.अभि.विभाग, जयपुर तत्कालीन मुख्य अभियन्ता स्पेशल प्रोजेक्ट पीएचईडी, 2. श्री महेन्द्र प्रकाश सोनी पुत्र श्री नथमल सोनी उम्र 61 साल पता 194, पृथ्वीराज नगर, महारानी फार्म, जयपुर हाल सेवानिवृत्त, अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामीण अभिरूप वृत्त) जन.स्वा.अभि.विभाग, जयपुर तत्कालीन एस.ई., पीआईयू-2 डीडवाना एवं तत्कालीन एस.ई. प्रोजेक्ट अजमेर-अतिरिक्त चार्ज 3. श्री सिध्दार्थ टांक पुत्र गोवर्धन लाल टांक उम्र 53 साल पता- 15/42, टांक बिल्डिंग, पुरानी मण्डी अजमेर हाल महन्त प्रहलाद दास, कबीर आश्रम, गऊ घाट के सामने, फतेह सागर, जोधपुर, हाल अधीशाषी अभियन्ता पीएचईडी, परियोजना, खण्ड-माण्डल, भीलवाडा के खिलाफ प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 10, 13(1)(A) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संसोधन 2018) प्रमाणित पाये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्णय लिया गया। अतः उपरोक्त धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।(सुरेश कुमार स्वामी)उप अधीक्षक पुलिसभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरोजयपुर नगर-तृतीय, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 10, 13(1)(A) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपी 1. श्री दिनेश गोयल पुत्र श्री केदार लाल गोयल उम्र 57 साल पता 63, हथरोई फोर्ट, जयपुर हाल, मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) जन.स्वा.अभि.विभाग, जयपुर तत्कालीन मुख्य अभियन्ता स्पेशल प्रोजेक्ट पीएचईडी 2. श्री महेन्द्र प्रकाश सोनी पुत्र श्री नथमल सोनी उम्र 61 साल पता 194, पृथ्वीराज नगर, महारानी फार्म, जयपुर हाल सेवानिवृत्त, अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामीण अभिरूप वृत्त) जन.स्वा.अभि. विभाग, जयपुर तत्कालीन एस.ई., पीआईयू-2 डीडवाना एवं तत्कालीन एस.ई. प्रोजेक्ट अजमेर-अतिरिक्त चार्ज 3. श्री सिध्दार्थ टांक पुत्र गोवर्धन लाल टांक उम्र 53 साल पता- 15/42, टांक बिल्डिंग, पुरानी मण्डी अजमेर हाल महन्त प्रहलाद दास, कबीर आश्रम, गऊ घाट के सामने, फतेह सागर, जोधपुर, हाल अधीशाषी अभियन्ता पीएचईडी, परियोजना, खण्ड-माण्डल, भीलवाडा के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश नवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-तृतीय, जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 150 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 56-62 दिनांक 09.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-01 जयपुर 2- संयुक्त शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राज. सरकार जयपुर 3- अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर 4- शासन उप सचिव (प्रथम), जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर 5- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-तृतीय, जयपुर 7- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (परिवाद संख्या एच-523/24) । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जॉच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): ghyan prakash Rank अपर पुलिस अधीक्षक
(जॉच अधिकारी का नाम): naval (पद):

No(सं.): to take up the investigation (को जॉच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जॉच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan, India
Date: 08/04/2026

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनाबट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1969				
2	Male	1965				
3	Male	1973				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (घबल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)